जाती है, अतः वेतन के संशोधन वेतनमान लागू कर दिये जाने के कारण, जो संशोधन पूर्व के वेतनमानों से काफी ऊंचे हैं, परिवार पेंशन की मात्रा में वृद्धि हुई है ।

(iv) परिवार पेंशनरों को मंहगाई राहत उसी दर पर दी जाती है जिस दर पर सेवारत कर्मचारियों को दी जाती है । इस समय 1-1-1987 से परिवार पेंशन की राशि पर 8 प्रतिशत की दर पर मंहगाई राहत का भुगतान किया जाता है ।

रेल दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को नौकरियां

3804. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को नौकरी देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की और कौन-कौन सी कल्याण योजनायें हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) गाड़ी दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले अन्य व्यक्तियों के आश्रितों को नियुक्ति देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि वैध उत्तराधिकारियों को भारतीय रेल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान धन के रूप में किया जाता है।

दिल्ली के स्कूलों में विद्युत कनेक्शन

3805. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के कुछ स्कूलों में विद्युत कनेक्शन न होने के कारण विद्यार्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या ऐसे स्कूलों में, जहां विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमति कृष्णा साही) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, तम्बुओं में चल रहे स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों में सामान्यता बिजली का कनेक्शन प्रदान किया जाता है ।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम के कुछ स्कूलों में जो तम्बुओं में चल रहे हैं उनमें बिजली के कनेक्शन प्रदान नहीं किये गये हैं । जैसे ही तम्बूओं के स्थान पर पक्के भवन उपलब्ध हो जाते हैं बिजली के कनेक्शन प्रदान कर दिये जाते हैं ।

गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्रहमपुरी, नई दिल्ली के लिये भवन

3806. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायालय में एक मामला लंबित होने के कारण गवर्नमेंट सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, ब्रहम-पुरी, दिल्ली-110053 के भवन का निर्माण कार्य नहीं किया जा सका अथवा उसके भवन के निर्माण के लिए अब तक कोई अनुमति नही दी गई है ;

(ख) क्या न्यायालय में लंबित मामले का शीघ्र निपटान किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचराधीन है ; और